



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक



झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 530 राँची, शुक्रवार, 10 भाद्र, 1945 (श०)
1 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-159/2016 का.- 3854--श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, देवघर के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6533, दिनांक 30.11.2016 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध NULM अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान M/s Frontline Global Services के भुगतान में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब करने, SMS के माध्यम से निदेशालय/विभाग के नियंत्रण अधिकार को चुनौती देने, व्यय होने वाली राशि को अविरुद्ध करने, देवघर शहर का DPR नहीं बनाने के बावजूद ऐजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10978, दिनांक 23.12.2016 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। श्री पाण्डेय के पत्रांक-378, दिनांक 28.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें श्री पाण्डेय द्वारा आरोपवार निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) देवघर नगर निगम में National Urban Livelihood Mission 2015-16 के अन्तर्गत Retail Service & Marketing, Transportation and Logistics Trade में प्रशिक्षण का दायित्व M/s Frontline Global Services को दिया गया था। इनका प्रथम बैच 01.12.2015 को प्रारंभ हुआ था, उन्होंने दिनांक 28.12.2015 एवं 04.12.2016 को कुल 9,36,000/- रुपये भुगतान का Invoice दिया था। दिनांक 22.01.2016 को इनके द्वारा संस्थान के औचक निरीक्षण में पाया गया कि कुल 196 प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध एक बैच में मात्र 40 प्रशिक्षणार्थी ही उपस्थित थे। जबकि एक बैच में 65 प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति वांछित थी। इस हेतु कार्यालय पत्रांक-102, दिनांक 25.01.2016 द्वारा उक्त संस्थान से स्पष्टीकरण पूछा गया। तदनुसार याचित 9,36,000/- रुपये के विरुद्ध इन्हें 8,28,000/- रुपये (TDS काट कर) 8,11,440/- रुपये का भुगतान दिनांक 18.02.2016 को किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भुगतान में जानबूझकर विलंब नहीं किया गया बल्कि उत्पन्न परिस्थिति के निराकरण में कुछ समय लगा।

तत्कालीन निदेशक, नगरीय प्रशासन से दिनांक 28.04.2016 को लगभग 04:00 बजे इनकी वार्ता हुई थी। इनसे भुगतान के संबंध में पृच्छा की गयी थी। माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ बैठक में होने के कारण इनके द्वारा अगले दिन सूचना देने की बात कही थी। पुनः दिनांक 29.04.2016 को इनके द्वारा पृच्छा के उपरांत बताया गया कि ऐजेंसी को उपरोक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है तथापि उन्होंने गंभीर परिणाम की बात कही और दिनांक 29.04.2016 को मोबाईल पर मैसेज कर गलत रूप से लिखा गया कि दो दिन पूर्व से ही प्रतिवेदन माँगा गया था। निदेशालय के पत्र से स्पष्ट होता है कि तत्का0 निदेशक, नगरीय प्रशासन श्री हर्षमंगला द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं अन्य मंशा से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण पूछा गया है, क्योंकि जन सूचना पदाधिकारी, नगरी प्रशासन निदेशालय द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध करायी गयी सूचना से स्पष्ट होता है कि M/s Frontline Global Services द्वारा उक्त तिथि तक भुगतान नहीं मिलने संबंधी कोई शिकायत पत्र निदेशालय को नहीं दिया गया था।

M/s Frontline Global Services की ओर से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 08.07.2016 को प्रेषित पत्र में भुगतान का अनुरोध किया गया है जबकि संस्था को दिनांक 28.04.2016 को 14,04,000/- का भुगतान किया जा चुका था, अतः यह आरोप बेबुनियाद एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित है।

(ii) ये आरोप भी मनगढ़ंत हैं, क्योंकि पत्र सं0-25, दिनांक 29.04.2016 में तत्संबंधी कोई निदेश नहीं था। साथ ही, विलंब का कारण उपर वर्णित किया जा चुका है।

(iii) यह सत्य है। इनके द्वारा SMS में समुचित सम्मान के साथ सूचना दी गयी है। तथापि बिना किसी शिकायत के तत्कालीन निदेशक द्वारा संस्था के प्रति अतिशय प्रेम दिखाने एवं गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी के पश्चात् ये "I don't understand why this haste" लिखा था, जो किसी सही कार्य करने वाले पदाधिकारी की समुचित प्रतिक्रिया हो सकती है।

(iv) यह आरोप भी तथ्यहीन एवं निराधार है, क्योंकि आरोप पत्र के साथ संलग्न एनेक्सचर 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 2015-16 में NULM अन्तर्गत देवघर नगर निगम में मात्र 12,80,760/- रुपये भुगतान हेतु लंबित थे जबकि चास जैसे छोटे नगर निगम में 49,08,000/- रुपये, धनबाद में 1,30,67,700/- रुपये लंबित हैं। तथापि उन्हें स्पष्टीकरण न कर इन्हें दोषी करार दिया गया। दूसरी ओर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.05.2016 को इस मद में देवघर में 2,93,43,457/- बैलेंस था जबकि धनबाद में 6,64,37,511/- रुपये बैलेंस, जमशेदपुर में 5,82,14,668/- तथा राँची नगर निगम में 9,27,08,428/- रुपये अवशेष थे। तथापि देवघर नगर निगम को भारत सरकार से फंड अवरूद्ध करने हेतु तत्कालीन निदेशक, नगर विकास द्वारा जिम्मेवार बताया जाना हास्यास्पद लगता है।

(v) देवघर नगर निगम द्वारा शहर का DPR बनाने के लिए ऐजेंसी का चयन इनके पूर्व के पदाधिकारी द्वारा किया गया था तथा ऐजेंसी का भुगतान भी पूर्व के पदाधिकारी द्वारा ही किया गया था। इस वस्तुस्थिति से निदेशक नगरीय प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया था, परन्तु दोषी अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। आश्चर्यजनक रूप से इन्हें ही कथित तौर पर दोषी करार दिया गया।

3. श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट है कि प्रशासी विभाग के पत्रांक-6533, दिनांक 30.11.2016 से आरोप पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक 18.02.2016 को उक्त प्रशिक्षण संस्थान को राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन नगर आयुक्त, देवघर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
